

अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2019 (RCMS 2019/00151) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर

26.08.2019



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2019 से 07 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी। प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं नहीं दी हैं जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/- शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैंने प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2019 (P.O. No. 41F/576467) के द्वारा कुल 7 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रधानाध्यापिका, पी.टी.एस., गजसिंहपुर वर्तमान पदस्थापित तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा प्रेषित जवाब दिनांक 29.05.2019 सम्बोधित अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (सतर्कता) जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में संलग्न पत्रांक 2162 दिनांक 11.09.2018 जो उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा श्रीमान् जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर को लिखा गया है, उस सम्बन्ध में सूचना व प्रमाणित प्रतियां :

1. उपरोक्त पत्रांक श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा जिस माध्यम एवं स्रोत से प्राप्त किया गया है, उस स्रोत व माध्यम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. उक्त पत्र प्राप्त करने में जमा कराई गई राशि की सूचना व राशि की रसीद की प्रमाणित प्रति।
3. उपरोक्त पत्रांक जांच रिपोर्ट के जिस बिन्दु से सम्बन्धित व सुसंगत है, उस बिन्दु की सूचना व उस बिन्दु के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
4. उक्त दस्तावेज जिस अधिकारी व कर्मचारी से प्रदान किया, जिस माध्यम से प्राप्त किया, उस अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. उक्त पत्र के पैरा संख्या 2 में चौकी लाईन में अंकित शब्द कि "असल निरस्त वसीयतनामा मूल प्रति में श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री भगवान दास लिखा हुआ है।"

असल निरस्तीकरण वसीयतनामा निरस्त की प्रमाणित प्रति जो उप पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध है, उसकी प्रमाणित प्रति, जिसमें प्रस्तुतीकरण श्रीमती गंगादेवी लिखा हुआ है।

6. उपरोक्त पत्रांक के पृष्ठ संख्या 2 की लाईनसंख्या 5 में यह तथ्य अंकित है कि "लिपिकीय भूल से कार्यालय प्रति में प्रस्तुतीकरण में श्रीमती गंगा देवी के स्थान पर मोनिका लिखा गया है"

उपरोक्त तथ्य जिस व्यक्ति द्वारा, अधिकारी द्वारा, जिस दस्तावेज में अंकित है व जिस आधार पर इस पत्र में अंकित किये गये है, उसकी सूचना व 3क बिन्दुओं की प्रमाणित प्रतियां।

7. उपरोक्त पत्रांक में यह तथ्य कि "यह किसी प्रकार की लापरवाही प्रतीत नहीं होती है बल्कि लिपिकीय भूल है"

यह तथ्य जिस अधिकारी द्वारा जिस पत्रांक या दस्तावेज में इस पत्र से पूर्व जिस आधार पर उपमहानिरीक्षक, हनुमानगढ द्वारा लिखे गये है, उस पत्रांक, आधार, नियम की सूचना व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 319-20 दिनांक 12.07.19 से अपीलार्थी

को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

| क्रमांक | बिन्दु | सूचना का जवाब |
|---------|-----------|--|
| 1 | 1,2,5,6,7 | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए, सूचना के रूप में प्रत्यार्थी न तो कोई सूचना बना सकते हैं और न ही स्वयं का मत दे सकते हैं, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसकी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना, लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1,2,5,6 एवं 7 में संदर्भित क्रमांक का पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। |
| 2 | 3,4 | बिन्दु संख्या 3,4 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। |

-sd-

प्रधानाध्यापक
पटवार प्रशिक्षण केन्द्र
गजसिंहपुर

इसके अतिरिक्त प्रधानाधपक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने उक्त अपील के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 373 दिनांक 16.08.2019 में निवेदन किया है कि :

इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण संलग्न कर संभव नहीं है। श्रीमान्जी प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर का अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है। (आदेश की प्रति संलग्न है।) अतः अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के पत्रांक प.1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है कि प्रार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर